न्यायालय:- अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश (समक्ष:-डी०सी० थपलियाल)

<u>प्र0क0 21/2013 अ0दी0</u> संस्थापित दिनांक 10.10.2013

- पूरन पुत्र बालिकशन उम्र ४७ वर्ष।
- बृजमोहन पुत्र बालकिशन उम्र 42 वर्ष।
- बृजिकशोर पुत्र बालिकशन उम्र 37 वर्ष।
- मलखान पुत्र बालिकशन उम्र 32 वर्ष।
- भगवानसिंह पुत्र बालकिशन उम्र 27 वर्ष। 5.
- ALIMANTA PARETA SUNT 3. अनिल पुत्र पदमसिंह उम्र 27 साल। समस्त 6. जाति – काछी, समस्त निवासी ग्राम एण्डोरी, परगना गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०

-अपीलान्टगण / वादीगण

बनाम

- 1.(अ) मानसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह उम्र 50 वर्ष।
 - (ब) जुलालसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह उम्र ४८ वर्ष।
- जगदीश सिंह पुत्र गजराजसिंह उम्र 47 वर्ष। 2.
- महेशसिंह पुत्र गजराजसिंह उम्र 37 वर्ष। 3.
- करनसिंह पुत्र गजराजसिंह उम्र 42 वर्ष। 4.
- बृजेन्द्रसिंह उर्फ करू पुत्र गजराजसिंह उम्र 32 5.
- नाथूसिंह पुत्र चिम्मनसिंह उम्र ४७ वर्ष। 6.
- रामपाल पुत्र कलियान उम्र 37 वर्ष। 7.
- 8. 🔷 शिशुपाल पुत्र कलियान उम्र ४२ वर्ष, समस्त जाति तोमर, समस्त निवासीगण ग्राम एण्डोरी, परगना गोहद जिला भिण्ड म०प्र0
- रम्मोबाई पत्नी लटूरी उम्र 57 वर्ष, पुत्री रामलाल, निवासी ग्राम आलोरी, तहसील गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0
- पूना वेवा फुंदी उम्र 42 वर्ष, पुत्री रामलाल,

निवासी ग्राम एण्डोरी, तहसील गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

मध्यप्रदरा राज्य शासन द्वारा त्रामान कलक्ट भिण्ड म०प्र०

טאטוי פייוו

———————— तरतीव रिस्पोण्डेन्ट 12. राजवती वेवा पत्नी सियाराम आयु 70 वर्ष, जाति ठाकुर, निवासी ग्राम एण्डोरी, तहसील गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

-----असल रिस्पोण्डेन्ट / प्रतिवादी

अपीलार्थीगण द्वारा श्री प्रमोद स्वामी अधिवक्ता । प्रत्यर्थी कं0 1 अ,ब, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 द्वारा श्री हरीशंकर शुक्ला अधिवक्ता । प्रत्यर्थी कं0 9, 11 पूर्व से एक पक्षीय।

—:: नि र्ण य ::— // आज दिनांक 08—08—2016 को खुले न्यायालय में घोषित //

01. अपीलार्थीगण के द्वारा वर्तमान अपील द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 गोहद, पीठासीन अधिकारी श्री एस०के० तिवारी के द्वारा व्यवहारवाद कमांक 11ए/2011 ई०दी० पूरन आदि वि० लक्ष्मण आदि में पारित निर्णय व डिकी दिनांक 12.09.2013 से व्यथित होकर पेश की है, जिसमें कि वादीगण का वाद वास्ते स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषधाज्ञा एवं राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने तथा निर्णय डिकी दिनांक 15.06.1949 का पालन कराए जाने और कब्जा दिलाए जाने की सहायता वादीगण के द्वारा चाही गई थी जो कि दावा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निरस्त किया गया है। इसके अतिरिक्त अपील के साथ वादी/अपीलार्थीगण के द्वारा एक आवेदनपत्र आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. पेश कर दस्तावेज रिकार्ड में लिए जाने बावत निवेदन किया है।

02. यह अविवादित है कि विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 4018 एवं 2496 ग्राम एण्डोरी परगना गोहद जिला भिण्ड में स्थित है। प्रकरण के आगे के पदों में अपीलार्थीगण को वादीगण एवं प्रतिअपीलार्थी को प्रतिवादीगण के रूप में संबोधित किया जायेगा।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण का दावा संक्षेप में इस प्रकार से रहा है 03. कि वादग्रस्त भूमि ग्राम एण्डोरी परगना गोहद, जिला भिण्ड स्थित सर्वे नम्बर 4018 रकवा 4 बीधा 4 विश्वा जिसका कि बंदोवस्त में परिवर्तित सर्वे नम्बर 2496 के वादीगण भू—स्वामी व आधिपत्यधारी है। उक्त विवादित कृषिभूमि वादीगण क्रमांक 1 लगायत 5 के मूरिस पूर्वज मवासी तथा वादी क्रमांक 6 के पूर्वज के स्वत्व व आधिपत्य की कृषि भूमि थी। वादग्रस्त भूमियों के संबंध में वादीगण के बाबा मवासी द्वारा प्रतिवादीगण के पूर्वज के विरूद्ध व्यवहारवाद भूमि के स्वामित्व के संबंध में एडिशनल तहसीलदार गोहद के न्यायालय में पेश किया था जो कि प्र0क0 20 / 2002 सम्बत पर पंजीबद्ध होकर एडिशनल तहसीलदार गोहद के द्वारा दिनांक 15.06.1949 को निर्णय पारित किया गया जिसमें कि वादीगण के बाबा का दावा डिक्री किया गया था और उन्हें विवादित भूमि का भू-स्वामी घोषित किया गया था तथा कब्जे के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के पूर्वजों के विरूद्ध दी गई थी। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादीगण के पूर्वजों के द्वारा वरिष्ठ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी जिस पर अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 09.09.1949 को अपील निरस्त की गई थी। विवादित भूमि पर वादीगण के पूर्वज भू-स्वामी के रूप में रहे और उन्हीं का कब्जा उस पर रहा है। वादीगण के पूर्वज बिना पढे लिखे गांव के व्यक्ति थे जिनके द्वारा न्यायालय से डिकी प्राप्त करने के पश्चात् भी उनके नाम का राजस्व न्यायालय में वतौर भू-स्वामी दर्ज नहीं किया गया, वादीगण राजस्व कागजातों में अपना नाम भू-स्वामी के रूप में दर्ज कराने एवं प्रतिवादीगण एवं उनके पूर्वजों के नाम का लेख राजस्व कागजात से विलोपित कराने के अधिकारी है।

04. वादीगण के द्वारा आगे वादपत्र में यह भी अभिवयन किया है कि वादीगण के स्वामित्व की भूमि को ललुआ द्वारा अवैधानिक रूप से मातादीन को बिक्रय कर दिया है जिसका इन्द्राज राजस्व कागजातों में संबंत 2015 से 2019 तक गलत कर दिया है, जबिक ललुआ को उक्त भूमि को अंतरित करने का कोई आधिकार प्राप्त नहीं है। दिनांक 15.03.2011 को प्रतिवादीगण के द्वारा जबरदस्ती वादीगण के कब्जा कास्त की भूमि को छीन लिया है। अतः विवादित भूमि सर्वे नम्बर 4018 के परिवर्तित नम्बर 2494 रकवा 04 बीघा 04 विश्वा का कब्जा बापस प्राप्त करने एवं वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के संबंध में और राजस्व कागजातों में अपना नाम विवादित भूमि के भू—स्वामी के रूप में दर्ज कराने के संबंध में डिकी पारित किये जाने का निवेदन किया है।

05. प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 8 व 10 की ओर से जबाव दावा पेश कर वादी के दावा के स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त शेष अभिवचनों को इन्कार करते हुए यह बताया है कि सर्वे क्रमांक 4018 का बंदोवस्त में नया नम्बर 2496 नहीं बना था और न ही वादीगण का उस पर काई भू—स्वामित्व अधिकार व आधिपत्य है। वास्तव में सर्वे क्रमांक 4017, 4018, 4019 का

सम्पूर्ण रकवा 1 बीघा 6 विश्वा है, उनमें तीन नम्बर शामिल है और उन तीनों नम्बरों का बंदोवस्त में परिवर्तित सर्वे नम्बर 2496 बनाया गया। उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण के पूर्वजों के स्वामित्व आधिपत्य की भूमि कभी नहीं रही है। बाादीगण के द्वारा जो सजरा दर्शाया गया है वह सही नहीं है। वादीगण 1 लगायत 5 तथा वादी कमांक 6 के बाबा के द्वारा प्रतिवादीगण के पूर्वज हरीसिंह व देवीसिंह के विरूद्ध व्यवहारवाद अपर तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत कियां जाना गलत बताया गया है। इस प्रकार का कोई प्रकरण चलने व उसमें किसी प्रकार की डिकी वादीगण के पूर्वजों के पक्ष में होने व उसके विरूद्ध वरिष्ठ न्यायालय में अपील होने के संबंध में कोई जानकारी न होना बताते हुए इस संबंध में किए गए अभिवचनों को अस्वीकार किया है। वादग्रस्त भूमियों पर कभी वादीगण के पूर्वज भू-स्वामी होकर काबिज नहीं रहे है, उस पर सदैव प्रतिवादीगण के पूर्वज कृषि करते रहें है। वादीगण के द्वारा तथाकथित निर्णय डिकी दिनांक 15.06.49 के आधार पर 62 वर्ष बाद अपने नाम वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का नाम बिलोपित कर राजस्व रिकार्ड में अंकित कराने हेतु सहायता चाही गई है, जो कि उक्त निर्णय व डिक्री का प्रवर्तन समय सीमा में न होने से निर्णय व डिक्री प्रतिवादी के मुकावले निष्प्रभावी होकर शून्य हो चुकी है। इस प्रकार वादीगण का दावा अवधि वाधित है। प्रतिवादीगण के द्वारा आगे यह भी बताया गया है कि वादग्रस्त भूमि व भूमि के स्वामी ललुआ पुत्र गंभीर के द्वारा वयनामा दिनांक 17.07.1962 के जरिए पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर सर्वे क्रमांक 417, 418, 419 रकवा 1 बीघा 6 विश्वा और सर्वे क्रमांक 4020, 4021, 4040 कमशः रकवा 12 विश्वा, 12 विश्वा और 1 बीघा 10 विश्वा, सर्वे कमांक 4088, 4089 रकवा 1 बीघा 14 विश्वा में स्वयं का 1/2 हिस्सा विधिवत बिक्रय कर मातादीन, गजराजसिंह, चिम्मनसिंह, सियाराम के हक में पंजीकृत बिक्रयपत्र कराया था और उन्हें कब्जा सौंपा था, तब से प्रतिवादी कमांक 1 लगायत 8 उस पर रिकार्टेड भू-स्वामी व आधिपत्यधारी है जो कि भू-स्वामी को बिक्रय करने का पूर्ण अधिकार होने से सहीं रूप में बिक्रयपत्र सम्पादित कराया गया है। ललुआ का नाम सम्बत् 2007 से 2019 तक लगातार राजस्व अभिलेखों में अंकित रहा है। वादीगण के द्वारा उस पर कभी भी कोई फसल नहीं बोई गई और न ही उस पर कोई कब्जा रहा, उस पर प्रतिवादीगण का ही कब्जा है। कब्जा छीनने की जो घटना वादीगण बता रहा है वह गलत है। प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष है जिस कारण दावा चलने योग्य नहीं है। सर्वे क्रमांक 4017, 4018, 4019 का रकवा 1 बीघा 6 विश्वा है। सर्वे कमांक 4018 से नवीन सर्वे कमांक 2496 बनाया गया हो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। ग्राम एण्डोरी में बंदोवस्त सन् 1991 में हुआ जिसकी विधिवत उद्घोषणा की गई। पूर्व स्वामी रामलाल की कोई पुत्र संतान नहीं थी। उसकी पुत्री पुनिया ने उसके साथ रहकर उसकी सेवा की थी और उसका अंतिम संस्कार किया था और उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी क्रमांक 10

पुनिया उनके अंश पर कृषि कार्य करती आ रही है और राजस्व अभिलेखों में उनका नाम अंकित है। इसी प्रकार प्रतिवादी क्रमांक 12 के द्वरा जबाव दावा पेश किया गया है जिसमें कि उसके द्वारा वही आधार लिए गए है जो कि अन्य प्रतिवादीगण के द्वारा अपने जबाव दावा में लिये गए है।

- 07. विचारण न्यायालय के द्वारा उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर 6 वादप्रश्न निर्मित किये गए है जो कि उक्त दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर एवं अंतिम तर्क सुने जाकर वादप्रश्नों पर निष्कर्ष अंकित करते हुए वादप्रश्नों पर निष्कर्ष निकालते हुए वादीगण को वादग्रस्त भूमि का भू—स्वामी व स्वत्वधारी होना प्रमाणित नहीं पाया गया है और वादीगण के दावा विधिक समयाविध में प्रस्तुत होना भी प्रमाणित न पाये जाने से वादीगण का दावा निरस्त किया गया है।
- 08. अपीलार्थीगण / वादीगण के द्वारा वर्तमान अपील इन आधारों पर पेश की गई है कि विचारण न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश विधि विधान के विपरीत है। विचारण न्यायालय के द्वारा इस संबंध में वैधानिक स्थित के संबंध में उचित रूप से विचार नहीं किया गया है तथा इस संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजों पर भी उचित रूप से विचार न करते हुए भ्रामक रूप से निष्कर्ष निकाला गया है। विचारण न्यायालय के द्वारा मात्र खसरा प्रविष्टियों के आधार पर स्वत्व एवं आधिपत्य के संबंध में जो निष्कर्ष दिया गया है वह भी उचित नहीं है। बादीगण के द्वारा प्रस्तुत स्वत्व के संबंध में स्पष्ट दस्तावेजों पर भी उचित रूप से कोई विचार किए बिना एवं साक्षियों के साक्ष्य कथन का आधा अधूरे रूप से विचार करते हुए निष्कर्ष निकाला गया है। वादीगण का दावा समय सीमा के अंदर पेश किया गया है जो कि वाद कारण उत्पन्न होने के पश्चात् उनके द्वारा पेश किया गया है, किन्तु विचारण न्यायालय ने समय सीमा में दावा प्रस्तुत होना न मानने में भी त्रुटि की है। ऐसी दशा में विचारण न्यायालय के पारित निर्णय व डिकी दिनांक 12.09.2013 को अपास्त कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।
- 09. प्रतिअपीलार्थी / प्रतिवादीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी को उचित रूप से पारित किया जाना बताते हुए उसमें किसी प्रकार का हस्ताक्षेप या फेर—बदल करने का कोई आधार न होना बताते हुए अपील निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।
- 10. वादी / अपीलार्थी गण के द्वारा अपील के साथ एक आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 41 नियत 27 सी.पी.सी. का पेश किया गया है, जिसमें कि उसके द्वारा नकल शाखा भिण्ड से प्राप्त हुए नकल के आवेदनपत्र पेश किए गए है और साथ में नकल आवेदनपत्र दिनांक 22.07.

2015 और 29.07.2015 मूल पेश किए गए है 🤼

- 11. प्रतिवादीगण / प्रतिअपीलार्थीगण के द्वारा उपरोक्त आवेदनपत्र का विरोध करते हुए यह व्यक्त किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण के द्वारा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया था। नकल प्राप्त करने हेतु आवेदनपत्र दिनांक 21.07.2015 को प्रस्तुत किया गया है, जबिक प्रतिवादीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रमाणित प्रतिलिपि 2011 में प्रस्तुत की थी और उसकी नकल वादीगण को दे दी गई थी। उसके उपरांत भी उसके द्वारा इतने लम्बे समय तक स्वयं की तरफ से नकल लेने हेतु कोई आवेदनपत्र पेश नहीं किया गया था।
- 12. वादीगण / अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय है कि—
 - 1. विया वादीगण / अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार योग्य है?
 - 2. क्या ग्राम एण्डोरी परगना गोहद की भूमि सर्वे क्रमांक 4018 रकवा 4 बीघा 4 विश्वा का बंदोवस्त के उपरांत परिवर्तित नम्बर 2496 हुआ जिसका कि वादीगण भू—स्वामी आधिपत्यधारी है?
 - 3. क्या वादीगण का वर्तमान दावा अवधि के अंतर्गत पेश है?
 - 4. क्या अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 12.09.2013. में हस्तक्षेप किये जाने हेतु कोई न्यायसंगत आधार है?

—ः: सकारण निष्कर्ष ::-

बिन्द् क्रमाक 1:-

- 13. सर्वप्रथम वादीगण/अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के संबंध में विचार किया गया एवं वादीगण के द्वारा नकल अनुभाग कलेक्ट्रेट भिण्ड में खसरा नम्बर 4018 के संबंध में खसरा वर्ष 2007 एवं 2009 की नकल हेतु आवेदनपत्र दिया गया था जो कि उसके अनुसार उक्त प्रविष्टि खसरा का पेज फट जाने के कारण रिकार्ड उपलब्ध न होना बताया है। वादी के द्वारा उक्त दस्तावेज उसे बाद में प्राप्त होने और प्राप्त होने के तुरन्त पश्चात् पेश करना बताया गया है जो कि प्रकरण से संबंधित है और प्रकरण के निराकरण में सहायक हो सकना उसके द्वारा बताया गया है।
- 14. उपरोक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी के द्वारा इस संबंध में खसरा

की नकलें पूर्व में पेश की गई है और जिसकी नकलें उसी समय वादीगण को दे दी गई है। उक्त कॉपी प्राप्त होने के उपरांत भी चार साल से भी अधिक समय तक वादीगण के द्वारा नकल निकालने के लिए कोई प्रयास किया गया हो ऐसा दर्शित नहीं होता है। अभिलेख फटकर उपलब्ध न होने के संबंध में पूर्व में भी प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत खसरा से संबंधित दस्तावेज में टीप अंकित है। ऐसी दशा में नकल हेतु प्रस्तुत उपरोक्त आवेदनपत्रों जिनमें कि संबंधित नकल आवेदनपत्र के द्वारा चाही गई प्रविष्टि का पेज न होने के आधार पर आवेदनपत्र बापस किया गया है, उक्त अभिलेख रिकार्ड में लिए जाने का आधार न होने से आवेदनपत्र आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. निरस्त किया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 2 व 3:--

- 15. वादीगण के द्वारा अपने अभिवचन में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि ग्राम एण्डोरी स्थिति भूमि सर्वे क्रमांक 4018 रकवा 4 बीघा 4 विश्वा का प्रवर्तित सर्वे नम्बर बंदोवस्त के उपरांत 2496 बना है और उक्त भूमि वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की रही है। इस संबंध में वादीगण के पूर्वज मवासी के द्वारा पूर्व में दावा प्रतिवादीगण के पूर्वजों के विरूद्ध पेश किया था जो कि उक्त व्यवहारवाद में दिनांक 15.06.1949 को वादीगण के पक्ष में डिकी पारित की गई है और उसके विरूद्ध प्रतिवादीगण के पूर्वजों की अपील दिनांक 09.09.49 को निरस्त की जा चुकी है। वादीगण के पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, उस समय उन्हें न्यायालय से डिकी प्राप्त करने के पश्चात् अपना नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं करा पाए। प्रतिवादीगण के द्वारा दिनांक 15.03.2011 को जबरदस्ती विवादित स्थल से वादीगण का कब्जा छीन लिया था। वादग्रस्त भूमि जिसका कि वर्तमान में प्रवर्तित नम्बर 2496 होना बताते हुए इस संबंध में सहायता वादीगण के द्वारा चाही गई है।
- 16. प्रमाणन के भार का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में जो पक्षकार न्यायालय से अपनी सहायता चाहता है उसे प्रारंभिक रूप से उस तथ्य को प्रमाणित करना होगा। यद्यपि जहाँ उभय पक्षकारों के द्वारा साक्ष्य पेश की गई है उसमें प्रमाणन भार किसी एक पक्ष पर नहीं डाला जा सकता, किन्तु निश्चित रूप से वादी जो कि यह अभिकथन करते हुए कि उसके स्वामित्व और आधिपत्य के खसरा नम्बर 4018 का बंदोवस्त उपरांत परिवर्तित नम्बर 2496 हो गया है तथा वादग्रस्त भूमि उनके ही स्वत्व व आधिपत्य की है, उसे प्रारंभिक रूप से उक्त तथ्य प्रमाणित करना होगा।
- 17. वादी पूरनसिंह वा०सा० 1 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि उनके पूर्वज मवासी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा एण्डोरी में स्थित है सर्वे क्रमांक 4018 रकवा 4 बीघा 4 विश्वा जिसका परिवर्तित सर्वे क्रमांक 2496 वादीगण के पूर्वज मवासी

के पक्ष में प्रतिवादीगण के पूर्वज हरीसिंह और देवीसिंह के विरुद्ध व्यवहारवाद कमांक 20/20 दिनांक 15.06.1949 को निर्णय व डिकी पारित की गई थी जिसके विरुद्ध प्रतिवादी के पूर्वजों के द्वारा अपील भी पेश की गई थी जो कि दिनांक 09.09.49 को निरस्त की गई। वादीगण के पूर्वजों के समय से उक्त भूमि पर भू—स्वामित्व के रूप में काबिज रहे और उनकी मृत्यु के बाद भूस्वामी के यप में प्रतिवादीगण की जानकारी में काबिज है। वादीगण के पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे। डिकी होने के पश्चात् राजस्व कागजातों में नाम अंकित न करा पाए और प्रतिवादीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में गलत रूप से अंकित होता रहा है। इस संबंध में वादीगण के द्वारा न्यायालय अपर तहसीलदार गोहद के प्रकरण कमांक 20/2002 सम्बत् की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी. 3 एवं नायब सूबा जिला भिण्ड के प्रकरण कमांक 14/1949 आदेश दिनांक 09.09.49 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी. 4 पेश की है तथा वादग्रस्त भूमि के संबंध में खसरा की प्रमाणित प्रतिलिपि वर्ष 2010—2011 की प्रतिलिपि प्र.पी. 8 पेश की गई है।

18. वादी की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी रामप्रसाद वा०सा० 2 तथा साक्षी पुरूषोत्तम वा०सा० 3 के द्वारा अपने शपथपत्र के मुख्य परीक्षण में वादग्रस्त बताई गई भूमि सर्वे क्रमांक 2496 रकवा 4 बीघा 4 विश्वा पर वादीगण के काबिज होने और उनके द्वारा ही उस पर खेती करते देखना और दिनांक 15.03.2011 को प्रतिवादीगण ने वादीगण का कब्जा हटा देना बताया है। इसके अतिरिक्त उक्त साक्षियों के द्वारा यह भी बताया गया है कि उनके पिता उन्हें बताया करते थे कि उक्त जमीन वादीगण के पूर्वज मवासी ने प्रतिवादीगण के पूर्वज हरीसिंह व देवीसिंह से मुकद्दमा लडकर जीती थी।

19. उपरोक्त बिन्दु पर प्रतिवादी साक्षी महेशिसंह प्र0सां0 1 के द्वारा वादग्रस्त भूमि को एक वीघा सात विश्वा होना जिसका कि बंदोवस्त के पहले तीन सर्वे नम्बर 4017 रकवा 1 वीघा 2 विश्वा, सर्वे नम्बर 4018 रकवा 1 विश्वा, सर्वे न0 4019 रकवा 3 विश्वा जो कि कुल 1 बीघा 6 विश्वा तीनों नम्बरों का बंदोवस्त में नया नम्बर 2496 रकवा 1 बीघा 7 विश्वा हो गया। सर्वे कमांक 4018 का रकवा 4 बीघा 4 विश्वा कभी नहीं रहा और न ही 4018 का नया सर्वे नम्बर 2496 हुआ और उक्त भूमि 2496 पर बादी के पूर्वजों का कभी भी स्वामित्व आधिपत्य नहीं रहा है। वादीगण के पूर्वजों के द्वारा कोई बाद पूर्व में पेश करना एवं चलना अस्वीकार किया है और निर्णय के विरुद्ध अपील की कोई जानकारी उन्हें न होना बताया है। वादी वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के पूर्वज कभी भी काबिज नहीं रहे है, बिल्क प्रतिवादीगण ही पूर्व भू—स्वामी के रूप में उस पर काबिज होकर खेती करते चले आ रहे है। दाविया भूमि सिहत अन्य भूमि को ललुआ पुत्र गंभीरा के स्वत्व एवं आधिपत्य की थी उसे 1962 में पूर्ण प्रतिफल देकर जो कि सर्वे कमांक 4017, 4018, 4019 रकवा 1 बीघा 6 विश्वा व अन्य भूमियों सिहत कुल 5 बीघा 14 विश्वा में 1/2 भाग की प्रतिवादीगण के पूर्वजों ने रिजस्ट्री कराई थी और

तब से प्रतिवादीगण का उस पर स्वत्व आधिपत्य चला आ रहा है। उक्त भूमि पर फसलें बोकर प्रतिवादीगण काबिज है और उस पर उनका कुँआ भी बना हुआ है तथा प्रतिवादी पुनिया का उस पर पक्का मकान भी बना हुआ है।

- 20. उपरोक्त संबंध में प्रतिवादी साक्षी उम्मेदिसंह सिकरवार प्र0सा0 2 के द्वारा भी यह बताया गया है कि भूमि का रकवा 1 बीधा 7 विश्वा है जो कि एण्डोरी मौजे में है उस पर पहले ललुआ की खेती होती थी। ललुआ के बाद उसे प्रतिवादीगण के पूर्वजों ने खरीद लिया, तब से उन्हीं की खेती हो रही है और उनका ही उस पर कुंआ, ट्यूब वेल और मकान बनाकर तथा अन्य भाग पर खेती कर कब्जा चला आ रहा है।
- 21. वादी जो कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 4018 रकवा 4 बीघा 4 विश्वा होना बताते हुए उक्त सर्वे नम्बर का बंदोवस्त के पश्चात् नया नम्बर 2496 होना बता रहा है। इस बिन्दु पर वादी प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि उसने री—नम्बरिंग का पर्चा प्रकरण में पेश नहीं किया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वादी सर्वे क्रमांक 4018 रकवा 4 बीघा 4 विश्वा का नया नम्बर 2496 होना बता रहा है, किन्तु किस आधार पर वादी उक्त परिवर्तित सर्वे नम्बर बता रहा है इस बावत् कोई भी दस्तावेज उसके द्वारा पेश नहीं किए गए है, जबिक यदि पूर्ववर्ती नम्बर सर्वे क्रमांक 4018 का नया नम्बर 2496 बना है जिसे कि विवादित होना कह रहा है तो निश्चित रूप से यदि उसका नम्बर बंदोवस्त के उपरांत प्रवर्तन हुआ है और उसका कोई नया नम्बर बना हुआ है तो इस संबंध में री—नम्बरिंग के संबंध में सूची या प्रमाण वादी के द्वारा पेश कर प्रमाणित कराया जा सकता था, जिससे कि उक्त तथ्य की पुष्टि हो सके। ऐसी दशा में किस आधार पर वादी सर्वे नम्बर 4018 का नवीन सर्वे नम्बर उसे विवादित होना कह रहा है, ऐसा कहीं भी स्पष्ट नहीं होता है।
- 22. निश्चित तौर से वादीगण जिसका दावा मुख्य रूप से इस आधार पर है कि पूर्ववर्ती सर्वे कमांक 4018 के संबंध में उनके पक्ष में न्यायालय से डिकी हुई थी और उस डिकी के आधार पर उनका वादग्रस्त भूमि पर स्वामित्व एवं अधिकार है और उसमें दर्शाई गई भूमि सर्वे कमांक 4018 रकवा 4 बीघा 4 विश्वा का नवीन रकवा 2496 हो गया है। वादी पर यह प्रमाणन भार प्राथमिक रूप से है कि वह इस तथ्य को प्रमाणित कराए कि भूमि सर्वे कमांक 4018 का नवीन नम्बर 2496 हुआ है, किन्तु इस बिन्दु पर वादी के द्वारा किये गए अभिवचन और मौखिक साक्ष्य के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया गया है, जिससे कि इस बात की पुष्टि हो सके कि सर्वे कमांक 4018 का ही री—नम्बरिंग पश्चात् नवीन सर्वे कमांक 2496 निर्मित हुआ है।
- 23. उपरोक्त संबंध में प्रतिवादी पक्ष के द्वारा स्पष्ट रूप से अपने अभिवचन एवं साक्ष्य में यह बताया गया है कि बंदोवस्त के पहले सर्वे क्रमांक 4017 रकवा 1 बीघा 2 विश्वा,

सर्वे कमांक 4018 रकवा 1 विश्वा और सर्वे कमांक 4019 रकवा 3 विश्वा कुल रकवा 1 बीघा 6 विश्वा था जो कि बंदोवस्त में उक्त तीनों सर्वे कमांकों का नया नम्बर 2496 रकवा 1 बीघा 7 विश्वा हो गया। सर्वे कमांक 4018 का नया नम्बर 2496 कभी नहीं बना और उस पर वादीगण के पूर्वजों का स्वामित्व नहीं रहा है। इस संबंध में प्रतिवाादी पक्ष के द्वारा प्रस्तुत खसरा पांचसाला सम्बत् 2020—24 प्र.डी.6, खसरा सम्बत् 2025 प्र.डी. 7, खसरा सम्बत् 2031—35 प्र.डी. 8, खसरा सम्बत् 2036—40 प्र.डी. 9, खसरा वर्ष 2041—45 प्र.डी. 10 से भी प्रतिवादीगण के द्वारा इस संबंध में बताए गए आधारों की पुष्टि होती है, जिसमें कि खसरा कमांक 4018 का रकवा 1 विश्वा होना दर्शाया गया है। प्र.डी. 11 का दस्तावेज जो कि नगरीय नगरेत्तर क्षेत्रों के अधिकार अभिलेख की सत्यप्रतिलिपि है उसमें भी स्पष्ट है कि बंदोवस्त के समय खसरा 4017, 4018, 4019 का नया सर्वे कमांक 2496 रकवा 0.27 है0 निर्मित किया गया है।

24. उपरोक्त बिन्दु पर वादी पूरनिसंह को प्रतिपरीक्षण में प्रतिवादी द्वारा पूछे जाने पर वादी ने बंदोवस्त के पहले सर्वे कमांक 4018 का रकवा 1 विश्वा होने को गलत बताया है तथा सर्वे कमांक 4017 का रकवा 1 बीघा 2 विश्वा तथा सर्वे कमांक 4019 का रकवा 3 विश्वा होने को गलत बताया है और उन तीनों का सम्मिलत एक ही खेत होकर रकवा 1 बीघा 6 विश्वा होना भी गलत बताया है और इस बात को भी गलत बताया है कि सन् 1991 में तीनों सर्वे नम्बर 4017, 4018, 4019 का नया सर्वे नम्बर 2496 रकवा 1 बीघा 7 विश्वा हो गया है और सम्बत् 2007 से लेकर 2045 तक के राजस्व कागजातों में सर्वे कमांक 4017, 4018, 4019 का रकवा 1 बीघा 6 विश्वा अंकित हो तो उसकी जानकारी उसे नहीं होना बता रहा है तथा इस संबंध में उसको जानकारी न होना बता रहा है कि सम्बत् 2045 के बंदोवस्त के पश्चात् सर्वे कमांक 2496 रकवा 0.27 है0 अंकित है।

25. यह सुस्थापित सिद्धांत है कि वादी को अपना दावा एवं उसमें लिए हुए आधारों को स्वतः प्रमाणित करना होगा, वह प्रतिवादी की किसी कमजोरी का लाभ नहीं उठा सकता है। जैसा कि इस संबंध में जगदीश नारायण वि० नबाव सईयद अहमद खॉन ए.आई. आर.1946 पी.सी.59, Moran mar Basselios catholices & others v/s Most. Rev. Marpolose athanasish oth. A.I.R 1954 P. 526, Union of India oth. v/s vasavi co-operative housing socity ltd. 2014 (2) MPLJ 486 इस संबंध में उल्लेखनीय है। वादी जो कि सर्वे कमांक 4018 रकवा 4 बीधा 4 विश्वा जिसका नवीन सर्वे कमांक 2496 होना अभिकथित करते हुए उसे विवादित होना बताते हुए इस संबंध में सहायता चाह रहा है, किन्तु इस संबंध में वादी के द्वारा कोई भी दस्तावेज इस आशय का पेश नहीं किया गया है कि भूम सर्वे कमांक 4018 का ही नवीन नम्बर 2496 बना है। इस बिन्दु पर

मात्र वादी एवं उसके साक्षियों के मौखिक कथनों के आधार पर जबिक इस बिन्दु पर दस्तावेज मौजूद होना अपेक्षित है, मात्र मौखिक साक्ष्य से इस तथ्य को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। इस बिन्दु पर वादी के साक्षी जगदीश वा०सा० 2 और पुरूषोत्तम वा०सा० 3 के कथन के आधार पर और उनके प्रतिपरीक्षण में आए हुए तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में भूमि सर्वे कमांक 2496 रकवा 4 बीघा 4 विश्वा पर वादीगण का ही आधिपत्य होना एवं प्रतिवादीगण के द्वारा उनके आधिपत्य हटा लेने का तथ्य प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

- वादीगण के द्वारा अपने दावे में जो अनुतोष चाहा गया है, इस संबंध में मुख्य रूप से उनके द्वारा इस आधार पर अनुतोष चाहा गया है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में उसके पूर्वज मवासी के हित में अपर तहसीलदार गोहद के द्वारा दिनांक 15.06.1949 को डिकी पारित की गई और उक्त डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादीगण के पूर्वजों के द्वारा नायब सूबा जिला भिण्ड के समक्ष अपील किये जाने पर उनकी अपली निरस्त की गई है और इस संबंध में अपर तसीलदार गोहद के प्रकरण कमांक 20/2002 सम्बत् आदेश दिनांक 15.06.1949 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी. 3 एवं नायब सूबा जिला भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 14 / 1949 के आदेश दिनांक 09.09.1949 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी. 4 वादी के द्वारा पेश की गई है और वादी के द्वारा अपने अभिवचन में एवं साक्ष्य कथन में यह बताया है कि उक्त भूमि पर वादी के पूर्वज भू-स्वामी के रूप में काबिज रहे है। उनके पूर्वज पढे लिखे नहीं थे जिस कारण उनके हक में डिकी होने के पश्चात् भी राजस्व कागजातों में उनके नाम अंकित नहीं किये गए, जबकि उन्हें राजस्व कागजातों में न्यायालय की डिकी के आधार पर अपना नाम अंकित कराने का अधिकार था। अपीलार्थीगण / वादीगण अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह भी व्यक्त किया कि मात्र इस आधार पर कि वादीगण के पूर्वजों एवं वादीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित नहीं किया है इससे उनका स्वत्व समाप्त नहीं होता है। राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज न होने के आधार पर किसी व्यक्ति का स्वत्व समाप्त नहीं हो सकता है एवं मात्र इस आधार पर कि राजस्व अभिलेखों में किसी का नाम दर्ज है उसे किसी के पक्ष में स्वत्व की अवधारणा नहीं की जा सकती है।
- 27. इस संबंध में यद्यपि यह सत्य है कि मात्र राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज होने या उसमें नाम दर्ज न होने के आधार पर किसी के संबंध में स्वत्व प्राप्त होने या स्वत्व समाप्त होने बावत कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, किन्तु निश्चित तौर से राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टि उस पर आधिपत्य एवं उसके लगान आदि अदा करने के संबंध में प्रयोग में लाई जा सकती है। वादीगण के द्वारा कहीं भी यह प्रमाणित नहीं कराया जा सका है कि वादग्रस्त बताई गई भूमि कभी भी किसी अभिलेख में उनके पूर्वजों के नाम पर दर्ज है अथवा उनके पूर्वजों के द्वारा उसका लगान आदि अदा किया जाता रहा है।

- 28. उपरोक्त संबंध में प्रतिवादी पक्ष के द्वारा अपने अभिवचन में स्पष्ट रूप से यह आधार लिया गया है कि निर्णय दिनांक 15.06.1949 के आधार पर 62 वर्ष के पश्चात् वादी अपना नाम अंकित कराए जाने की सहायता चाह रहा है जो कि यदि उसके पक्ष में कोई डिकी हुई भी है तो भी समय सीमा के भीतर डिकी का प्रवर्तन नहीं कराया गया है और इस संबंध में चाहा गया अनुतोष अवधि वाधित है तथा इस आधार पर दावा चलने योग्य भी नहीं है।
- 29. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। वादीगण के द्वारा वर्तमान दावे में उसे कब्जा बापस दिलाए जाने तथा राजस्व कागजातों में उनका नाम भूमि सर्वे कमांक 2496 में दर्ज कराने की सहायता चाही गई है।
- यह उल्लेखनीय है कि वादी का वर्तमान दावा मुख्य रूप से दिनांक 15.06.1949 को अपर तहसीलदार परगना गोहद के प्रकरण क्रमांक 20/2002 सम्बत् में पारित डिक्री जिसमें कि अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 09.09.1949 में विचारण न्यायालय के निर्णय को वहाल रखा गया है के आधार पर पेश किया गया है, इस संबंध में प्र.पी. 3 जो कि एडिशनल तहसीलदार के निर्णय दिनांक 15.06.1949 की प्रतिलिपि वादी पक्ष के द्वारा पेश की गई है, उसमें एडिशनल तहसीलदार के द्वारा वादग्रस्त भूमि का मवासी के पक्ष में कब्जा दिलाए जाने के संबंध में आदेश दिया जाना दर्शित होता है, किन्तु उक्त डिकी का प्रवर्तन वादी के पूर्वज या वादीगण के द्वारा कभी कराया गया हो ऐसा कहीं दर्शित नहीं होता है। निश्चित तौर से यदि 1949 में ही कब्जा दिलाये जाने की सहायता वादी के पूर्वजों के पक्ष में दी गई है। उक्त डिक्री के आधार पर वादीगण के पूर्वजों को कोई कब्जा बापस दिलाया गया हो अथवा इस संबंध में उक्त डिकी के प्रवर्तन की कोई कार्यवाही उनके द्वारा कराई गई हो ऐसा कहीं भी दर्शित नहीं होता है। इस प्रकार सन् 1949 की उक्त निर्णय व डिकी का कोई प्रवर्तन वादीगण के पूर्वजों के द्वारा कराया जाना दर्शित नहीं होता है, बल्कि उक्त निर्णय व डिकी के आधार पर उनके द्वारा सन् 2011 में वर्तमान दावा पेश कर उक्त 1949 के निर्णय का कियान्वयन कराए जाने जाने की सहायता भी चाही गई है और उसके आधार पर वादग्रस्त भूमि पर अपना स्वत्व व आधिपत्य निहित होना बताया गया है।
- 31. भारतीय मियाद अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कर्यवाही को संचालित करने हेतु समय सीमा व मियादि निर्धारित की गई है। इस संबंध में आर्टीकल 136 लिमिटेशन एक्ट के अनुसार डिकी के प्रवर्तन हेतु 12 साल की मियाद निर्धारित की गई है। वादीगण के पूर्वजों या वादीगण के द्वारा डिकी होने के पश्चात् कभी भी उसके प्रवर्तन हेतु उक्त विहित अविध के अंतर्गत कोई कार्यवाही की गई हो इस आशय का कोई प्रमाण नहीं है, बल्कि उक्त निर्णय व डिकी के आधार पर वर्तमान दावा उनके द्वारा पेश किया गया होना दर्शित होता है। निश्चित

तौर से डिकी के प्रवर्तन हेतु 12 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है और इस अवधि के अंतर्गत यदि वादीगण के द्वारा प्रवर्तन की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वादीगण के मात्र इस अभिवचन के आधार पर कि उनके पूर्वज व पिता अनपढ व ग्रामीण व्यक्ति थे इस संबंध में कानूनी रूप से उन्हें कोई मुक्ति प्रदान नहीं की जा सकती और न ही इस प्रकार वादीगण का दावा निर्धारित अवधि के अंतर्गत पेश होना पाया जाता, दावा स्पष्ट रूप से अवधि वाधित है। वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न हुआ हो ऐसा भी आई हुई साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं होता है।

- वादग्रस्त भूमि पर कब्जे का जहाँ तक प्रश्न है। यह उल्लेखनीय है कि 32. सर्वप्रथम वादी के द्वारा यह प्रमाणित नहीं कराया गया है कि विवादित सर्वे क्रमांक 2496 ही है, इसके अतिरिक्त कब्जे का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में स्वयं वादी के ,द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों के आधार पर विवादित बताए गए स्थान पर वादी का कब्जा होना प्रमाणित नहीं होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि सन् 1949 के अपर तहसीलदार के निर्णय में कब्जा बापसी बावत् आदेश दिया गया है, किन्तु उसका कभी भी कोई प्रवर्तन कराया जाना दर्शित नहीं होता है और कथित विवादित भूमि पर वादी के पूर्वज या वादी को कब्जा प्राप्त हुआ हो ऐसा भी दर्शित नहीं होता है, बल्कि वादीगण के द्वारा पुनः 2011 प्रतिवादीगण के द्वारा कब्जे में हस्तक्षेप हस्तक्षेप करने का आधार लेते हुए दावा पेश किया गया है, जबकि इस बिन्दु पर स्वयं वादी के साक्षी पुरूषोत्तम वा०सा० 3 यह बता रहा है कि प्रतिवादीगण की वादग्रस्त भूमि पर 15-20 वर्षों से खेती होते हुए वह देख रहा है और इस बात को भी स्वीकार किया है कि उसने वादी के पुरखों को विवादित जमीन पर खेती करते हुए नहीं देखा है। ऐसी दशा में वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर पूर्वजों के समय से काबिज होने का तथ्य प्रमाणित नहीं है और न ही यह प्रमाणित है कि प्रतिवादीगण के द्वारा वर्ष 2011 में उनके कब्जे को छीन लिया गया है और इस संबंध में वादीगण के द्वारा लिया गया आधार प्रमाणित नहीं है।
- 33. तद्नुसार बिन्दु कमांक 2 के संबंध में यह प्रमाणित नहीं होता है कि भूमि सर्वे कमांक 4018 रकवा 4 बीघा 4 विश्वा का परिवर्तित सर्वे कमांक 2496 हुआ जिसके कि वादीगण स्वामी व आधिपत्यधारी है। बिन्दु कमांक 3 के संबंध में वादीगण का दावा अविध के अंतर्गत होना अथवा उन्हें वाद कारण उत्पन्न होना प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 4

34. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई सम्पूर्ण दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के संबंध में उचित रूप से विचार करते हुए एवं वादप्रश्नों पर उचित रूप से निष्कर्ष निकालते हुए यह अवधारित किया गया है कि वादीगण विवादित भूमि का पूर्व का सर्वे क्रमांक 4018 रकवा 4 बीघा 4 विश्वा का परिवर्तित सर्वे क्रमांक 2496 होना और उक्त भूमि पर उनका स्वामित्व एवं आधिपत्य प्रमाणित करने में असफल रहे है तथा वादीगण को वादग्रस्त भूमि से अवैधानिक रूप से वेदखल किया गया है को भी प्रमाणित करने में असफल रहे है एवं वादीगण का दावा विहित समयाविध में न होने के संबंध में जो निष्कर्ष निकाले गए है इस संबंध में कोई त्रुटि या अनियमितता की गई हो ऐसा नहीं पाया जाता है, बिल्क अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा उसके समक्ष आई हुई सम्पूर्ण साक्ष्य पर उचित रूप से विचार करते हुए निष्कर्ष निकाले गए है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिकी में हस्तक्षेप किए जाने अथवा फेरबदल करने का कोई आधार अथवा कारण परिलक्षित नहीं होता है।

35. तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 12.09. 2013 की पुष्टि की जाती है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील सारहीन होने से सव्यय निरस्त की जाती है।

तद्नुसार डिकी पारित की जाए। निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी०सी०थपलियाल) अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड

लियाल)
चायाधीश
अपर जिला न्यायाधीश
भिण्ड
गोहद जिला भिण्ड